न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/125

1. अब्दुल वहीद पुत्र लटूर ।
2. निसार मोहम्मद आत्मज लटूर ।
3. जाहिद आत्मज लटूर ।
4. जुबेदा पुत्री लटूर ।
5. आबिदा पुत्री लटूर ।
6. नसीबन बेवा लटूर जाति मुसलमान निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र गजानन्द ।
2. मोहर बाई पुत्री गजानन्द जाति नायक निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 699 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि के खातेदार भूली पुत्री नन्दा, गजानन्द, रामनारायण, बरजी बेटी रामनारायण, फूंदी व मांगी बेवा रामनारायण थे । गजानन्द, रामनारायण, बरजी बेटी रामनारायण, फूंदी व मांगी बेवा रामनारायण की लाऔलाद मृत्यु हो गयी थी व भूली उक्त भूमि की एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज हो गई । भूली बाई ने

दिनांक 10.09.1974 को उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादीगण के पिता व पति लटूर आत्मज छीतर जाति मोमिन मुसलमान को बेचान कर कब्जा संभला दिया । तब से ही वादीगण के पिता व पति लटूर जी उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 847 रकाब 0.60 हैक्टर कायम किये तथा बाद केचमेंट नये खसरा नम्बर 1053 की 0.56 हैक्टर कायम किये गये । वादीगण ने उक्त विक्रय के आधार पर आराजी अपने नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवायी । वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दिनांक 22.09.2017 को प्रतिवादी क्रम 03 व उसके कर्मचारियों द्वारा बिना कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये वास्तविक स्थिति की जानकारी लिये बिना दर्ज कर दी जबकि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ग्राम कोटसुंवा में निवास नहीं करते हैं और न ही उनका उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त रहा है । वादीगण उक्त भूमि पर क्रय की दिनांक 10.09.1974 से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में उनके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा दिनांक 16.02.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी पर हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है । प्रतिवादीगण जाति से नायक हैं जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा प्रतिवादी की आराजी पर वादीगण जो सवर्ण जाति के सदस्य हैं, को किया गयाा विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के उल्लंघन में है । धारा 42बी के अन्तर्गत वादीगण को प्रतिवादी की आराजी पर खातेदारी प्रदान करने के प्रावधान नहीं होने से वादीगण का वाद विधि से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.03.2020 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज कर दिया।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त विक्रय पत्र के बाद से रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हो जाने का अनुचित फायदा उठाने के ध्येय से तथा कब्जे में हस्तक्षेप करने पर वादीगण द्वारा घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 के बाद से कोराना बीमारी सै न्यायिक कार्य बन्द हो गया और आना–जाना तथा आवागमन के साधन बन्द हो गये । दिनांक 17.08.2020 को वकील साहब से फोन पर बात कर निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया तथा दिनांक 18.08.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । वादग्रस्त आराजी लटूर आत्मज छीतर ने दिनांक 10.09.1974 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से ही अपीलान्ट इस पर काबिज हैं । रेस्पोडेन्ट का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । दावा मेन्टेनेबल है अथवा नहीं यह Mixed Question of facts and law है जिसका जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 18.08.2020 को प्राप्त कर ली थी उसके बाद भी अपील दिनांक 31.08.2020 को पेश की है जबकि विलम्ब के प्रत्येक दिन को स्पष्ट करना चाहिए । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 06.03.2020 को आदेश पारित किया है जिसमें अपीलान्ट के अभिभाषक उपस्थित थे । इस न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 16.03.2020 को केवियट पेश की थी जिसका नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हो गया था । इस प्रकार मार्च, 2020 से ही अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी है । धारा 42 बी के उल्लंघन में हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । दावा विधि से वर्जित है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार वाद वादी खारिज किया है । अपीलान्ट ने अपील में हुए विलम्ब के कारण को नहीं बताया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ पेा किया है । प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और वादीगण सवर्ण हैं । दांवे में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 699 की 03 बीघा 10 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूली बाई ने वादीगण के पिता को दिनांक 10.09.1974 को बेचान कर कब्जा दे दिया था । इस आराजी के नये खसरा नम्बर 847 रकबा 0.60 हैक्टर कायम किये गये और बाद केचमेन्ट नये खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.56 हैक्टर कायम किये गये । अतः वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । परीक्षण न्यायालय में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया है जिसमें यह कथन किया गया कि प्रतिवादीगण जाति से नायक हैं जो अनुसूचित जाति में आते हैं । धारा 42बी के उल्लंघन में वादीगण को खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती । दावा विधि से बाधित है । इस प्रार्थना पत्र का जवाब वादी के द्वारा पेश किया गया है ।

13. पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी वादी की ओर से पेश की गई है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी भूली बाई पुत्री नन्दा, गजानन्द पुत्र रामनारायण, फून्दी, मांगी बेवा रामनारायण के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार न्यायालय के आदेश से खातेदारान की कौम नायक दर्ज की गई है और नामान्तरकरण संख्या 1232 से वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रतिवादी कम 1 व 2 दर्ज किये गये है पत्रावली पर विक्रय पत्र की जो प्रति संलग्न है जिसमें भी विक्रेता भूली बाई की जाति नायक दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर वादीगण की ओर से जो दावा पेश किया गया है और दावे के समर्थन में जो नकल जमाबन्दी एवं विक्रय पत्र पेश किया गया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं । ऐसी स्थिति में उनको धारा 42बी के उल्लंघन में खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि द्वारा वर्जित है और ऐसा दावा जो पढने से ही विधि से वर्जित प्रमाणित होता हो उसको आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जा सकता है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2012 (2) पेज 1137 यहा चस्पा होती है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार वाद वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/125

1. अब्दुल वहीद पुत्र लटूर ।
2. निसार मोहम्मद आत्मज लटूर ।
3. जाहिद आत्मज लटूर ।
4. जुबेदा पुत्री लटूर ।
5. आबिदा पुत्री लटूर ।
6. नसीबन बेवा लटूर जाति मुसलमान निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर पुत्र गजानन्द ।
2. मोहर बाई पुत्री गजानन्द जाति नायक निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 699 की रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि के खातेदार भूली पुत्री नन्दा, गजानन्द, रामनाशयण, बरजी बेटी रामनारायण, फूंदी व मांगी बेवा रामनारायण थे । गजानन्द, रामनारायण, बरजी बेटी रामनारायण, फूंदी व मांगी बेवा रामनारायण की लाऔलाद मृत्यु हो गयी थी व भूली उक्त भूमि की एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज हो गई । भूली बाई ने

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020 / 125

1. अब्दुल वहीद पुत्र लटूर ।
2. निसार मोहम्मद आत्मज लटूर ।
3. जाहिद आत्मज लटूर ।
4. जुबेदा पुत्री लटूर ।
5. आबिदा पुत्री लटूर ।
6. नसीबन बेवा लटूर जाति मुसलमान निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र गजानन्द ।
2. मोहर बाई पुत्री गजानन्द जाति नायक निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 143 / दावा / 2017

1. अब्दुल वहीद पुत्र लटूर ।
2. निसार मोहम्मद आत्मज लटूर ।
3. जाहिद आत्मज लटूर ।

4. जुबेदा पुत्री लटूर ।
5. आबिदा पुत्री लटूर ।
6. नसीबन बेवा लटूर जाति मुसलमान निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र गजानन्द ।
2. मोहर बाई पुत्री गजानन्द जाति नायक निवासीगण कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

14/9/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा